

**भारत सरकार**  
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 832**  
**04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**शहरी बाढ़ प्रबंधन**

**+832.सुश्री सयानी घोष:**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में देश के प्रमुख शहरों में बाढ़ की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) शहरी बाढ़ के प्रबंधन और न्यूनीकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम, योजनाएं या पहल का ब्यौरा क्या है जिनमें बुनियादी ढांचा विकास, वर्षा जल प्रबंधन और शहरी नियोजन सुधार शामिल हैं;
- (ग) पिछले दस वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार और योजना-वार कुल कितनी राशि आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई; और
- (घ) क्या सरकार ने शहरी बाढ़ की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने में उनकी प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए इन पहलों का कोई प्रभावी आकलन या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**  
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (घ): शहरी बाढ़ का प्रबंधन करना राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरों में बाढ़ और जल भराव की घटनाओं से संबंधित ब्यौरा नहीं रखता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 ([https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%201\(2\).pdf](https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%201(2).pdf))

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

<https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding5%20May%202017.pdf>

iii. शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोणों के विकास में सक्षम बनाने के लिए 2021 में नदी-केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश,

<https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf>

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़

<https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf>

v. तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली नियमावली

<https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems-2019.php>

वर्ष 2015 में शुरू किए गए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल निकासी एक घटक है, जिसमें बाढ़ संबंधी समस्याओं को कम करने और इसे रोकने के लिए नालियों का निर्माण और सुधार तथा हरित स्थलों और पार्कों का निर्माण शामिल है। अमृत के तहत, 3016.82 करोड़ रुपये की 838 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। अमृत पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2,403.35 करोड़ रुपये की 813 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अमृत के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,606.31 करोड़ रुपये की 2,529 हरित स्थल और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 1,571.86 करोड़ रुपये की 2,489 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 5,271 एकड़ के पारगम्य हरित क्षेत्र को इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित किया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों द्वारा हरित स्थलों, पार्कों और जलाशयों व कुओं के पुनरुद्धार संबंधी परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 6,270.51 करोड़ रुपये की

लागत वाली 3,031 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं और 13,707.64 एकड़ को कवर करने वाली 1,089.31 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,669 हरित स्थल और पार्क परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

इसके अलावा, अमृत और अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल निकासी में मदद करती हैं। अमृत के तहत, 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिससे 21,754 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क तैयार होगा। अमृत 2.0 के तहत अब तक 35,801 किलोमीटर लंबे सीवर नेटवर्क को कवर करने वाली 588 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे) को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 2021-22 से 2025-26 तक 2500/- करोड़ रु. के आवंटन की सिफारिश की है। तदनुसार, इन सात टियर-1 शहरों में कुल 2,500 करोड़ रु. के आवंटन के साथ शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) का कार्यान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी बाढ़ के जोखिमों का आकलन करना, शहर-स्तर पर बाढ़ की तैयारी संबंधी योजनाएँ तैयार करना, विविध जोखिमों से संबंधित फ्रेमवर्क बनाना और समुदायिक अनुकूलता को बढ़ाना है। इसमें जीआईएस-आधारित जोखिम मानचित्रण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सार्वजनिक जागरूकता उपायों सहित गैर-संरचनात्मक पहलों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल निकासी में सुधार और प्रकृति-आधारित समाधान जैसे संरचनात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूएफआरएमपी के तहत आवंटित और जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:

शहर	आवंटित निधियां (करोड़ रुपये में)	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)
मुंबई	500	150
चेन्नई	500	331.50
कोलकाता	500	150
बैंगलुरु	275	71.616
हैदराबाद	250	75
अहमदाबाद	250	73.17
पुणे	250	75

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के दूसरे चरण (टियर-II शहरों के लिए) को ग्यारह शहरों (गुवाहाटी, पटना, कानपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और रायपुर) के लिए कुल 2,200 करोड़ रु. के केंद्रीय आवंटन के साथ हाल ही में अनुमोदित किया गया है। प्रत्येक शहर के लिए यूएफआरएमपी (चरण-II) के हिस्से के तौर पर 222.22 करोड़ रु. का आवंटन है। [एनडीएमएफ से 200 करोड़ रु. (90%) और राज्य के हिस्से से 22.22 करोड़ रु. (10%)]

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने एक निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया है और इसे शहरों के साथ साझा किया है, ताकि संबंधित शहरों में कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जा सके।

\*\*\*\*\*